

श्री गोविन्द राम सेकसरिया इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इंदौर

Ref. Dean(ARSD)/2025/_____

Date : 20 March 2025

नोट

विषय : यु. जी. / पी. जी. विद्यार्थियों द्वारा कॉशन मनी रिफंड हेतु आवेदन बाबाद (2025, June – Passout)

संस्थान द्वारा वर्तमान में आठवे सेमिस्टर में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के द्वारा पोर्टल के माध्यम से काशनमनी रिफंड हेतु आवेदन किया जाता है । विद्यार्थियों को समस्त विभागों / अनुभागों से नो-ड्युज भी प्राप्त करना होता है जिसके उपरान्त ही लेखा शाखा द्वारा प्राप्त काशनमनी रिफंड के प्रकरणों का परीक्षण कर भुगतान हेतु कार्यवाही की जाती है । इस प्रक्रिया में समय लगता है तथा अनेक प्रकरणों में संबंधित विभागों के नो-ड्युज प्राप्त होना रह जाते हैं । कई बार विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के बैंक खातों के विवरण न देते हुये परिवार के अन्य सदस्य के बैंक खातों का विवरण दिया जाता है जिसके कारण संबंधित विद्यार्थियों को भुगतान करने में व्यवहारिक रूप से परेशानी होती है एवं विद्यार्थियों के द्वारा संस्थान छोड़ देने के कारण उनसे सम्पर्क भी नहीं हो पाता है, तथा अनावश्यक रूप से प्रकरण के निराकरण में विलम्ब होता है ।

वर्तमान में इस व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए समस्त यु. जी. (VIII सेम) एवं पी. जी. (IV SEM) विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे कॉशन मनी रिफंड हेतु आवेदन पोर्टल के माध्यम से कर देंगे । जिससे कि विद्यार्थियों को उनके डिग्री पूर्ण करने के समय ही कॉशन मनी की राशि प्राप्त हो जावे एवं इस प्रक्रिया को विभागों द्वारा विद्यार्थियों के संस्थान में अध्ययनरत होने के समय ही सभी कॉशनमनी रिफंड से सम्बंधित न्यूनताओं को पूरा किया जाकर कॉशनमनी की राशि का भुगतान विद्यार्थी को किया जा सके ।


20/03/2025
डीन (ARSD)

प्रति

1. डीन (IPRF)
2. रजिस्ट्रार
3. प्रो. इंचार्ज (स्टूडेंट अफेयर्स)
4. सभी विभागाध्यक्ष
5. वित्त अधिकारी
6. समस्त नोटिस बोर्ड
7. ऑनलाइन कोऑर्डिनेटर (क्रिस्प)
8. इंस्टिट्यूट वेबसाइट